यह निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिद्धूवाला, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिद्धूवाला, देहरादून के माह 06/2016 से 07/2017 के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री रवि शंकर, स.ले.प.अ., श्री एस.एस. राना एवं श्री विजय कुमार, व.ले.प. द्वारा दिनांक 09.08.2017 से 16.08.17 तक श्री एस.के. जौहरी लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री सलीम खान, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक ..... से .....तक श्री सुनील कल्ला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 01/2013 से 05/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2). (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः राज्य के बच्चों के अधिकारों की रक्षापायो/संरक्षण, बच्चों के प्रति किये जाने वाले अपराध, अथवा बाल अधिकारों के छात्र से सम्बन्धित मामलों की त्वरित गति से निस्तारण, समस्त उत्तराखण्ड।

इकाई द्वारा संचालित योजनायें

1. RTI (Right to Education
2. Poxo
3. J.J. Act (All Uttarakhand)

(अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0	0	83.87	53.00	6.25	3.623	-	33.49
2015-16	0	0	71.92	26.89	8.25	5.61	-	47.67
2016-17	0	0	78.75	32.46	9.5	5.99	-	49.8

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रू. लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	RTI	6.34	2.63	1.56	7.41
2015-16	RTI	7.41	1.63	0.00068	9.03
2016-17	RTI	9.03	5.84	7.21	7.66

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य/केन्द्र द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई सचिव, बाल अधिकार संरक्षण आयोग, देहरादून तथा 'ए' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

1. सचिव 2. अनुसचिव

(iii) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिद्धूवाला, देहरादून को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिद्धूवाला, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया I उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण नियमावली 2011 का विस्तृत विश्लेषण किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(अ)

प्रस्तर-1- उत्तराखण्ड बाल संरक्षण आयोग नियमावली, 2011 का प्रभावी क्रियान्वयन न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा 10 मई 2011 की अधिसूचना के द्वारा उत्तराखण्ड बाल अधिकारी संरक्षण आयोग नियमावली 2011 का निर्धारण किया गया। उक्त नियमावली के अनुसार आयोग को निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन करना था–

(i) बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध एवं कार्य को प्रोत्साहित करना।

(ii) बाल अधिकारों के संबंध में, समाज के सभी वर्गों में शिखा का प्रसार करना तथा अधिकारों से संबंधित वर्तमान रक्षोपयोगी का प्रकाशनों, मीडियम, गोष्ठियों एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करना।

(iii) विभिन्न संधियों एवं अन्य समय–समय पर विभिन्न नीतियों की समीक्षा करना, विभिन्न कार्यक्रमों एवं बाल अधिकारों से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बाल हित में उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।

इकाई की लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016–17 में मात्र एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराने के अलावा आयोग द्वारा उपरोक्त कार्यों में से किसी भी कार्य को नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि बाल अधिकारों के क्षेत्र में कोई शोध कार्य नहीं किया जा रहा है, भविष्य में इसकी सभांवना पर विचार किया जायेगा। बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 2016–17 में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था यद्यपि इस संबंध में जागरूरता पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 2016–17 में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था यद्यपि इस संबंध में मीडिया एवं अन्य सक्षम माध्यमों से विज्ञापन नहीं दिया गया साथ ही विभिन्न संधियों एवं अन्य अर्न्तराष्ट्रीय अभिकरणों के अध्ययन करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वतः ही स्वीकारोक्ति की गयी है। इस प्रकार उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन न किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : ब्याज प्राप्ति रू0 31,267/– की धनराशि राजकोष में जमा न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या U.O. 18/XXVII (6)-T.C.A. 934-2014 दिनांक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश संख्या : 610/XVII (4)/2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक घोर वित्तीय अनियमितता है तथा निर्देशित किया है कि जितने भी बैंक खाते हैं उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या :99/XXVII (14)/2009, दिनांक 03.09.2009 द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक–0049–ब्याज प्राप्तियां, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियां, 800 अन्य प्राप्तियां, 12–अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाय।

इकाई के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा पदनाम बैंक खाते में वर्ष 2016–17 में रू0 112053/– तथा वर्ष 2017–18 में रू0 9217/– (जुलाई 2017 तक) कुल रू0 31,267/7 का ब्याज अर्जित किया गया था जिसे उक्त शासनादेशों के अनुपालन में राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था परन्तु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा नहीं की थी।

उल्लेखीय है कि विगत लेखापरीक्षा द्वारा भी इकाई द्वारा अर्जित ब्याज रू0 1,26,055/– (वर्ष 2014–15 तक) को राजकोष में जमा करने हेतु इंगित किया था परन्तु इकाई द्वारा उक्त ब्याज की धनराशि भी लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक भी राजकोष में जमा नहीं की थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि ब्याज प्राप्ति शीर्ष की पूर्ण जानकारी न होने के कारण ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न कराया जा सका जिसे यथाशीघ्र राजकोष में जमा करा दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है। अतः रू0 31, 267/– की ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-**III**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-

प्रतिवेदन संख्या	वर्ष	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	**STAN**
26	2016-17	1	1	-

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
26/2016-17	भाग–दो 'अ'–01 भाग–दो 'ब'–01	इकाई द्वारा तैयार कर उच्चाधिकारी की अनुशंसा हेतु प्रेषित की जा रही है।	का प्रस्तर 1 व 3 यथावत् रखते तथा 2 व 4 को निरस्त करने की अनुशंसा की गयी है।	

भाग-**IV**

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

प्रदेश में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु उद्यमशील।

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिद्धूवाला, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा. शक्ति प्रसाद सेमवाल	अनुसचिव	12/2014 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिद्धूवाला, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, सी- 1/105, वैभव पैलेश, इंदिरा नगर, देहरादून, 248006" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)